परिशिष्ट-I

(पैरा 1.1 में संदर्भित)

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय/विभाग

क्रम सं	आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय
1.	रसायन और उर्वरक
2.	कोयला
3.	वाणिज्य और उद्योग
4.	कॉरपोरेट कार्य
5.	नागर विमानन
6.	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
7.	आवासन और शहरी कार्य
8.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
9.	खान
10.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
11.	विद्युत
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
13.	पोत परिवहन
14.	इस्पात
15.	वस्त्र
16.	पर्यटन
	वित्त मंत्रालय के विभाग
1.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
2.	आर्थिक कार्य विभाग
3.	वित्तीय सेवाएं विभाग

परिशिष्ट-II
(पैरा 1.5 में संदर्भित)
बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है (मार्च 2017 तक)	मार्च 2017 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) जो 31 मार्च 2018 तक देय थे	
		यूसी की संख्या	राशि
भारी उद्योग विभाग	2003-04	01	20.00
	2013-14	01	743.00
	2015-16	03	873.87
	2016-17	17	5,873.09
	कुल	**22**	**7,509.96**
लोक उद्यम विभाग	2012-13	05	27.00
	2013-14	07	62.93
	2014-15	03	16.95
	2015-16	39	356.21
	2016-17	01	10.00
	कुल	**55**	**473.09**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2011-12	103	688.39
	2012-13	19	703.36
	2013-14	42	914.27
	2014-15	50	378.01
	2015-16	86	1,133.44
	2016-17	23	3,605.30
	कुल	**323**	**7,422.77**
औषध विभाग	2009-10 से 2011-12	06	1,330.30
	2013-14	02	10.10
	2014-15	01	684.00
	2015-16	05	1,724.10
	2016-17	03	510.00
	कुल	**17**	**4,258.50**
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	2009-10	02	04.00
	2011-12	02	04.00
	2014-15	02	755.00
	2015-16	03	192.00
	2016-17	11	1,623.00
	कुल	**20**	**2,578.00**
खान मंत्रालय	2015-16	02	30.59
	2016-17	05	150.37
	कुल	**07**	**180.96**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2004-05	2	1.25
	2005-06	1	0.89
	2006-07	5	1.25
	2007-08	7	3.08
	2008-09	8	5.25
	कुल	**23**	**11.72**
इस्पात मंत्रालय	2013-14	1	73.90
	2015-16	2	304.49
	2016-17	8	358.88
	कुल	**11**	**737.27**
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-86 से 2011-12	216	26,530.87
	2012-13	13	3,180.41
	2013-14	37	9,264.71
	2014-15	144	2,40,501.38
	2015-16	190	2,90,935.90
	2016-17	752	11,95,236.48
	कुल	**1,352**	**17,65,649.75**
वस्त्र मंत्रालय	1978-79 से 2011-12	1,432	6,553.40
	2012-13	454	1,946.93
	2013-14	406	831.44
	2014-15	553	6,165.40
	2015-16	1420	1,43,378.99
	2016-17	1268	1,29,395.17
	कुल	**5,533**	**2,88,271.33**
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	2007-08	02	0.59
	2009-10	03	0.79
	2010-11	02	0.35
	2015-16	01	77.99
	2016-17	01	123.53
	कुल	**09**	**203.25**
पोत परिवहन मंत्रालय	2015-16	17	8,679.00
	2016-17	15	5,493.00
	कुल	**32**	**14,172.00**
पर्यटन मंत्रालय	2013-14	03	83.00
	2014-15	03	1068.00
	2015-16	10	3079.00
	2016-17	31	25975.00
	कुल	**47**	**30,205.00**

वाणिज्य विभाग	2008-09	01	20.29
	2012-13	06	5,005.04
	2014-15	01	950.00
	2015-16	07	2,524.00
	2016-17	13	3,920.71
	कुल	**28**	**12,420.04**
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	2012-13	01	4.40
	2013-14	01	0.04
	2014-15	03	34.05
	2015-16	11	74.29
	2016-17	14	4.97
	कुल	**30**	**117.75**
कुल योग		**7,509**	**21,34,211.39**

परिशिष्ट-III

(पैरा 1.6 में संदर्भित)

स्वायत निकायों की सूची, जिन्होंने तीन महीने से अधिक के विलम्ब के बाद लेखे प्रस्तुत किये

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखों के प्रस्तुत करने की तिथि	महीनों में देरी
1.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	14.11.2017	4
2.	कॉफी बोर्ड, हैदराबाद	6.10.2017	3
3.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	3.4.2018	9
4.	संयुक्त विद्युतीय नियामक आयोग, गुडगांव, हरियाणा	15.12.2017	5
5.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाईजेशन फण्ड, मुम्बई	लेखा प्राप्त नहीं हुए	
6.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	3.10.2017	3
7.	भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली	लेखा प्राप्त नहीं हुए	
8.	वस्त्र समिति, मुम्बई	15.1.2018	6
9.	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता	28.11.2017	4
10.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहटी	16.5.2018	10
11.	भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	26.10.2017	3

परिशिष्ट-IV

(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संदर्भ में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लेखापरीक्षित लेखों को संसद के समक्ष 31 अगस्त 2018 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम
	वर्ष 2012-13 के लिए	
1.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुम्बई	वित्त
	वर्ष 2013-14 के लिए	
2.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्त
3.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुम्बई	
	वर्ष 2014-15 के लिए	
4.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्त
5.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुम्बई	
	वर्ष 2015-16 के लिए	
6.	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन,धनबाद	कोयला
7.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त
	वर्ष 2016-17 के लिए	
8.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	रसायन एवं उर्वरक
9.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र
10.	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला
11.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	रसायन और उर्वरक

परिशिष्ट-V

(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए संसद में लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में देरी

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
	वर्ष 2012-13 के लिए		
1.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	रसायन और उर्वरक	16
	वर्ष 2013-14 के लिए		
2.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	19
3.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर, बिहार,	रसायन और उर्वरक	43
4.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद		7
5.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली		19
	वर्ष 2014-15 के लिए		
6.	डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फण्ड, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
7.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर, बिहार	रसायन और उर्वरक	31
8.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद		14
9.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली		18
	वर्ष 2015-16 के लिए		
10.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
11.	विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	नागर विमानन	12
12.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	रसायन और उर्वरक	15

13.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर, बिहार		19
14.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद		12
	वर्ष 2016-17 के लिए		
15.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	7
16.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग गुड़गांव, हरियाणा	विद्युत	7
17.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	रसायन और उर्वरक	2
18.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	नागर विमानन	7
19.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
20.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
21.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	वस्त्र	2
22.	वस्त्र समिति, मुम्बई	वस्त्र	7
23.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	रसायन और उर्वरक	2
24.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	3
25.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	रसायन और उर्वरक	2
26.	पेन्शन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	7[1]

[1] *पीएफआरडीए के लेखे जुलाई 2018 में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए गए।*

परिशिष्ट-VI
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

1. कोचीन पत्तन न्यास

1.1 वर्तमान देयताऐं एवं प्रावधान (अनु. VIII): ₹733.59 करोड़

वर्ष 2017-18 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान कर्मचारियों एवं पेन्शन भोगियों के पेंशन एवं उपदान योगदान पर देयताऐं ₹2274.39 करोड़ परिकलित की गई थी जिसके लिए पेंशन एवं उपदान निधि में निवेश ₹139.30 करोड़ था जिसमें ₹2135.09 करोड़ की कमी थी। परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में ₹2135.09 करोड़ की न्यूनोक्ति तथा तद्नुसार वर्ष के लिए ₹2135.09 करोड़ के लाभ की अत्युक्ति हुई।

1.2 सम्पदा किराया: ₹105.45 करोड़

उपरोक्त में मैसर्स लूलू कन्वेन्शन तथा एग्जीबिशन सेन्टर (प्रा.) लिमिटेड, बोलगट्टी से प्राप्त ₹7.20 करोड़ की धनराशि विरोध के अन्तर्गत अतिरिक्त पट्टा किराये के रूप में शामिल है। परिणामस्वरूप आय के साथ-साथ लाभ में भी ₹7.20 करोड़ की अत्युक्ति तथा इतनी ही धनराशि के अग्रिमों में न्यूनोक्ति हुई।

2. चेन्नई पत्तन न्यास

2.1 वर्तमान देयताऐं एवं प्रावधानः ₹787.39 करोड़ (अनुसूची XII)

(क) उपरोक्त में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को ड्रेजर कावेरी के ड्राई डॉक मरम्मतों का ₹2.59 करोड़ का देय मूल्य सम्मिलित नहीं है जो कि 2013 में पूरा हो गया था। इसके परिणामस्वरुप वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में ₹2.59 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई तथा लाभ में ₹2.59 करोड़ की अत्युक्ति हुई। चूंकि ड्रेजर कावेरी के ड्राई डॉक मरम्मत का कार्य कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, अतः पत्तन द्वारा ₹2.59 करोड़ की देयता को मान्यता देनी चाहिए। पोर्ट को मैसर्स भारतीय नौवहन निगम से प्राप्त/प्राप्य राशि को आय के रूप में मान्य करना चाहिए तथा प्राप्य भाग को वर्तमान परिसंपत्ति शीर्ष में मान्य करना चाहिए।

(ख) एलआईसी द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च 2018 को वर्तमान कर्मचारियों एवं वर्तमान पेंशनभोगियों के लिए पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण पर देयताऐं ₹5275.02 करोड़ परिकलित की गई। पोर्ट ने पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण निधि हेतु ₹3537.56 करोड़ का प्रावधान किया था। इसके

परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों तथा व्यय में ₹1737.46 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। फलस्वरूप, लाभ में इतनी ही धनराशि की अत्युक्ति हुई।

(ग) भारत सरकार ने 29.03.2018 को उपदान का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिसूचित किया तथा कर्मचारियों को देय उपदान की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी। ₹20 लाख तक बढ़ी हुई सीमा के अनुसार उपदान हेतु देयताओं का प्रावधान लेखों में करना चाहिए था। हालांकि, पत्तन ने ना तो वर्ष 2017-18 के लेखों में इसका प्रावधान किया और न ही लेखों पर टिप्पणी में इसे प्रदर्शित किया। पत्तन को उपदान की बढ़ी हुई सीमा के कारण उत्पन्न हुई अतिरिक्त देयता की धनराशि को सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखों में उपयुक्त प्रावधान करना चाहिए।

2.2 वर्ष 2017-18 के दौरान ₹215.58 करोड़ की राशि पेंशन निधि (₹208.08 करोड़) तथा उपदान निधि (₹7.50 करोड़) में स्थानांतरित की गई। यह राशि लाभ एवं हानि लेखों पर प्रभारित नहीं की गई परन्तु रेखा के नीचे बुक की गई जिसके परिणामस्वरुप लाभ में ₹215.58 करोड़ की अत्युक्ति हुई। इसी प्रकार की टिप्पणी वर्ष 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जारी की गई थी। हालांकि, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

3.1 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम

अप्रैल 2018 में हुए सीफूड एक्स्पो ग्लोबल ब्रुसेल्स में भागीदारी शुल्क पर हुए प्रीपेड व्यय की बुकिंग को अग्रिम के स्थान पर वर्तमान वर्ष का व्यय दिखाने के कारण उपरोक्त में ₹2.51 करोड़ न्यूनोक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि से 'व्यय के आय पर आधिक्य' में अत्युक्ति हुई।

3.2 व्यय-स्थापना व्यय

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयताऐं होने के कारण इसमें ₹160.38 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। प्राधिकारी ने इस देयता को आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से प्रसाधित करने के स्थान पर इसे तुलन पत्र में 'विविध व्यय' में डेबिट कर इसे 'वर्तमान देयताऐं एवं प्रावधान' में दर्शाया है। इसके परिणामस्वरुप 'स्थापना व्ययों' 'आय पर व्यय के आधिक्य' में ₹160.38 करोड़ की न्यूनोक्ति तथा इतनी ही धनराशि से 'विविध व्यय' में अत्युक्ति हुई।

4. न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास

4.1 स्थायी/पूंजी परिसंपत्तियां (अनुसूची 2) वर्ष के दौरान वृद्धिः ₹160.10 करोड़

उपरोक्त में वर्तमान परिसंपत्तियों में किए गए आशोधन/वृद्धि/प्रतिस्थापन पर ₹1.32 करोड़ की लागत शामिल है। उपरोक्त लागत पृथक परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत की गई थी तथा मूल्यह्रास को मूल परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल पर प्रभारित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा मूल्यह्रास में न्यूनोक्ति तथा निवल परिसंपत्ति मूल्य में अत्युक्ति के प्रभाव का परिमाणन नहीं कर सकी क्योंकि मूल परिसंपत्तियां, जिसमें वृद्धि/परिवर्तन किये गये थे, के शेष जीवन काल का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

4.2 दीर्घ कालीन निवेश :₹1574.42 करोड़

एक फिक्सड डिपोजिट की परिपक्वता के लिए गलत तरीके से दो बार प्रविष्टि करने के परिणामस्वरूप दीर्घ कालीन निवेश (₹99.99 लाख), प्रोद्भूत ब्याज (₹0.22 लाख) में न्यूनोक्ति तथा विकास के लिए रिजर्व/ऋण के पुर्नभुगतान (₹6.94 लाख), टीडीएस (₹0.72 लाख) तथा प्राप्य (₹106.44 लाख) में अत्युक्ति हुई।

4.3 ऋण एवं अग्रिम-अनुसूची 6

(i) आपूर्ति और सेवाओं के लिए जमा राशि-भण्डार: ₹2.32 करोड़

उपरोक्त 31 अगस्त 2018 को अन्तिम शेष ₹2.32 करोड़ दिखाता है जबकि भण्डार लेखापरीक्षा अनुभाग लेजर (जीएलसी-841 उचंत लेखा) शून्य शेष दिखाता है। विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा शेष धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकी।

4.4 लाभ एवं हानि लेखेः वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची 18)

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार आवश्यक राशि से अधिक की देयता की बुकिंग करने के परिणामस्वरूप, अवकाश नकदीकरण निधि में ₹8.14 करोड़ की अत्युक्ति, वित्त एवं विविध व्यय में ₹4.02 करोड़ की अत्युक्ति हुई तथा वित्त एवं विविध आय में ₹4.12 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसके कारण लाभ में ₹8.14 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

5. वी.ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास

5.1 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम: ₹835.32 करोड़

उपरोक्त में ₹129.51 करोड़ के फुटकर देनदार शामिल हैं जिनके लिए पत्तन ने ना तो वसूली की सम्भावना का विश्लेषण किया ना ही अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान किया तथा शेषों की पुष्टि भी प्राप्त नहीं की।

5.2 स्थायी पूंजी परिसंपत्ति-निवल ब्लाक: ₹1467.45 करोड़

उपरोक्त में 1042.32 एकड़ की भूमि, जिसे पोर्ट ने अपनी भूमि के रूप में चिन्हित किया था, का मूल्य शामिल नहीं है जो इसके स्वामित्व में आने वाली 2808.41 एकड़ भूमि के अतिरिक्त था। इस प्रकार, तुलन पत्र में दर्शाए गए स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य ने वास्तविक दशा को प्रदर्शित नहीं किया।

6. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू)

6.1 परिसंपत्तिः स्थायी परिसंपत्ति - भूमिः फ्री होल्ड: ₹36.38 करोड़ (अनुसूची 8)

उपरोक्त में मेसर्स एसआरसी कान्ट्रेक्टर्स को भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज तथा मूल मध्यस्थता अधिकरण के प्रभार के रूप में प्रतिपूर्ति के तौर पर भुगतान की गई ₹2.86 करोड़ की राशि शामिल है जो कि पूंजीकृत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह परिसंपत्ति को प्रयोग में लाये जाने के लिए सीधे तौर पर प्रयुक्त लागत नहीं थी।

इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों तथा आय पर व्यय के आधिक्य में ₹2.86 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

6.2 कोष/पूंजी निधि तथा देयताऐ

उद्दिष्ट/अक्षय निधि: ₹184.38 करोड़ (अनुसूची 3)

इसमें केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए समान लेखा प्रारूप के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय से आईएमयू के गैर आवर्ती व्ययों के लिए प्राप्त निधि में से ₹5.84 करोड़ की शेष राशि शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप उद्दिष्ट/अक्षय निधि में न्यूनोक्ति तथा वर्तमान देयता में ₹5.84 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

7. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम

7.1 सामान्य रिजर्व निधि का निवेशः ₹78.80 करोड़

वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताये जाने के बावजूद विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) ने सेतु समुद्रम निगम लिमिटेड (एसएससीएल), चेन्नई में किये गये ₹30.00 करोड़ के निवेश के मूल्य की हानि को ज्ञात नहीं किया और न ही उसका प्रावधान किया जबकि एसएससीएल परियोजना का कार्य 2009 से ही बंद था। यह लेखाकरण मानक 13-निवेशों का लेखांकन के प्रावधानों के विपरीत था।

7.2 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधानः ₹2,150.09 करोड़

उपदान निधिः(-)₹4.02 करोड़

भारत सरकार ने पत्तन के साथ अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए उपदान की तत्कालीन ₹10 लाख की सीमा को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2018 (उपदान भुगतान संशोधन अधिनियम, 2018) के माध्यम से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया था। इसी अनुसार बढ़ी हुई ₹20 लाख की सीमा को ध्यान में रखते हुऐ पत्तनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए 2017-18 की लेखा बहियों में प्रावधान करना था। हालांकि, वीपीटी ने 31 मार्च 2018 को ₹10 लाख पर देय उपदान के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन करवाया। वीपीटी ने न तो बढ़ी हुई ₹20 लाख की सीमा के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया और न ही उनके अनुसार देयता का प्रावधान किया।

8. कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)

8.1 पूंजीगत रिजर्व में केओपीटी द्वारा किराये की अनूसूची के अनुसार किरायेदारों से अनाधिकृत कब्जे के कारण वसूले गए ₹245.77 करोड़ (₹53.43 करोड़, ₹68.75 करोड़, ₹68.62 करोड़ तथा ₹54.97 करोड़ क्रमश 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 से संबंधित) प्रतिपूर्ति प्रभार शामिल हैं। राशि को मेसने लाभ (पूंजी प्राप्ति) मानते हुऐ सीधे पूंजी रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया है। हालांकि, प्रतिपूर्ति प्रभार वृहत पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) द्वारा अधिसूचित किराए की अनुसूची के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए इन्हें पूंजीगत प्राप्ति नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार प्रतिपूर्ति प्रभारों का पूंजी प्राप्ति के रूप में लेखाकरण के परिणामस्वरूप वर्ष में पूंजीगत रिजर्व तथा घाटे में ₹245.77 करोड़ की अत्युक्ति हुई जिसमे पूर्व अवधि के ₹190.80 करोड़ सम्मिलित हैं।

8.2 पोर्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे के अनुसार अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए और फुटकर देनदारों से घटाया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि फुटकर देनदारों में छः वर्ष से अधिक समय से बकाया ₹210.14 करोड़ सम्मिलित हैं जिसका विवरण निम्न हैः

क्रम.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	मैरीन बकाया	15.47
2.	कार्गो प्रभार और पोत प्रभार	18.87
3.	विद्युत प्रभार	5.57
4.	पक्षों से एस्टेट किराया	97.32

5.	संचित मुआवजा प्रभार	9.36
6.	एकीकृत फाइबर और रसायन लिमिटेड	0.98
7.	सरकारी पक्ष	30.99
8.	निजी पक्ष	29.29
9.	असमंजित पीओएल अग्रिम लेखा सीएमएम	2.29
कुल		**210.14**

इस बकाया राशि की वसुली की संभावना बहुत नगण्य है। इसलिए इसका प्रावधान किया जाना चाहिए था। इनका प्रावधान न करने के कारण फुटकर देनदारों में ₹210.14 करोड़ की अत्युक्ति के साथ ही घाटे में ₹210.14 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस पर 2014-15 से एसएआर में टिप्पणी शामिल की जा रही है लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

8.3 4579 वर्तमान कर्मचारियों की संख्या के लिए पेंशन देयता हेतु दिनांक 31.03.2018 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा 5305 वर्तमान कर्मचारियों के लिए उपदान हेतु दिनांक 31.03.2018 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएँ क्रमशः ₹3982.18 करोड़ तथा ₹392.19 करोड़ थी (कुल ₹4,374.37 करोड़) जिसके लिए कुल ₹2,279.74 करोड़ उपलब्ध थे। यद्यपि इस पहलू का खुलासा लेखों पर टिप्पणी (क्रम सं.13) में किया गया है, फिर भी ₹2,094.63 करोड़ की राशि की कमी का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया। परिणामस्वरूप प्रावधानों और घाटे में ₹2,094.63 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसी तरह की टिप्पणी एसएआर में 2013-14 से शामिल की जा रही है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

9. पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)

9.1 10 एमडब्लयू सोलर पावर पलांट की पूर्ति, स्थापना, प्रारम्भ और परिचालन रखरखाव पर ₹1.39 करोड़ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) सेवा शुल्क जारी पूँजी कार्य में शामिल है। परियोजना को गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त प्रगति के कारण समाप्त (मई 2018) कर दिया गया था। इसलिए जारी पूँजी कार्य के रूप में लेखांकन के स्थान पर राजस्व पर प्रभारित किया जाना चाहिए था। इसके प्रभारित नहीं होने के परिमाणस्वरूप जारी पूँजी कार्य में ₹1.39 करोड़ की अत्युक्ति के साथ ही व्यय में ₹1.39 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसी के परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान निवल अधिशेष में भी ₹1.39 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

9.2 निवेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ पारादीप पोर्ट रोड कं. लि. (पीपीआरसीएल) एक विशेष प्रयोजन माध्यम में इक्विटी शेयरों का ₹40 करोड़ का निवेश शामिल है। पीपीआरसीएल का निवल मूल्य पूरी तरह घट चुका है और 31.03.2016 को यह

(-)₹495.52 करोड़ था। इसलिए, लेखाकरण मानक 13 के तहत दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप निवेश में ₹40 करोड़ की अत्युक्ति एवं कर से पहले निवल अधिशेष में ₹40 करोड़ की अत्युक्ति हुई। वर्ष 2015-16 से पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह की टिप्पणी शामिल थी, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

9.3 एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों दोनों के लिए कुल पेंशन देयता ₹451.73 करोड़ थी। तथापि, पत्तन न्यास ने पेंशन निधि हेतु केवल ₹335.18 करोड़ का ही भुगतान किया। इस प्रकार बीमांकिक मूल्यांकन और उपलब्ध धन के बीच अंतर की देयता का प्रावधान न करने के कारण प्रावधानों के साथ-साथ वित्त एवं विविध व्यय में ₹116.55 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसी के परिणामस्वरूप निवल अधिशेष में भी ₹116.55 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

10. कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी)

10.1 31 मार्च 2018 को सीडीएलबी की अधिवर्षिता पेंशन के लिए देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा परिकलित ₹745.10 करोड़ के स्थान पर ₹859.39 करोड़ दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में तथा आय पर व्यय की अधिकता में ₹114.29 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

10.2 वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में सीडीएलबी के अवशोषित अधिकारियों/कर्मचारियों (24 संख्या) के लिए कोलकात्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) को देय ₹4.85 करोड़ की राशि आनुपातिक पेंशन के रूप में शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय-पेंशन योगदान के साथ वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में ₹4.85 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

11. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी)

11.1 नोएडा में पट्टे की भूमि में ₹1.68 करोड़ की राशि शामिल थी जो कि वर्ष 1995-96 के दौरान देरी से भुगतान के लिए दंडात्मक ब्याज शुल्क से संबंधित थी। यह एक राजस्व मद था लेकिन त्रुटिवश स्थायी संपत्तियों में बुक कर दिया गया था। इसके अलावा,1997-98 से ₹0.36 करोड़ की राशि परिशोधन के रूप में प्रभारित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नोएडा के पट्टे की भूमि में अत्युक्ति और पूर्व अवधि व्यय में ₹1.68 करोड़ की न्यूनोक्ति के साथ-साथ परिशोधन में अत्युक्ति एवं जूट बोर्ड निधि में ₹0.36 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप व्यय पर आय की अधिकता में ₹1.68 करोड़ की भी अत्युक्ति हुई।

12. टी बोर्ड

12.1 टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण: ₹3.54 करोड़

1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड द्वारा ₹5.99 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्वीकृति पत्र संख्या क्रमश: 48021/2/93-प्लांट ए दिनांक 16.08.1993, टी-39012/93-प्लांट ए दिनांक 26.04.1994, टी-39012/1/93-प्लांट ए दिनांक 04 जून 1994, टी-39012/1/93-प्लांट ए दिनांक 30 मार्च 1995 तथा फैक्स दिनांक 28 अप्रैल 1995 और 25 अक्टूबर 1995 द्वारा टी ट्रैडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीटीसीआई) को दिया गया। इस ब्याज मुक्त ऋण के सापेक्ष में, टीटीसीआई ने टी बोर्ड को दिनांक 02 जून 1994 को ₹0.25 करोड़ की धनराशि वापस की जिससे ₹5.74 करोड़ शेष रह गए। टीटीसीआई को भुगतान किए गए उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋण में से टी बोर्ड को भारत सरकार से ₹3.54 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जो कि टीटीसीआई को भुगतान करने के लिए था। इसके पश्चात्, दिनांक 24 जून 2002 के समापन आदेश के अनुसार टीटीसीआई का परिसमापन हो गया तथा टी बोर्ड ₹5.74 करोड़ का उपरोक्त ऋण प्राप्त नहीं कर सका। 2012-13 के दौरान, टी बोर्ड ने टीटीसीआई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण की ₹2.20 करोड़ (₹5.74 करोड़ - ₹3.54 करोड़) की शेष धनराशि को सरकार को देय ऋण में से समायोजित किया। अतः टी बोर्ड ने टीटीसीआईको ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी गई ₹5.74 करोड़ की कुल धनराशि सरकार से प्राप्त/समायोजित की। हालांकि, ₹3.54 करोड़ को तुलन पत्र के परिसंपत्तिपक्ष में "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाया गया था। इसी प्रकार, अन्य देयताओं में टीटीसीआई के लिए सरकार को देय, के रूप में ₹3.54 करोड़ भी शामिल है। चूँकि टीटीसीआई लंबे समय से अस्तित्व में नहीं है तथा टी बोर्ड ने सरकार द्वारा टीटीसीआई को दिये गए ऋण की कुल राशि समायोजित/प्राप्त कर ली है; ₹3.54 करोड़ को तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में" टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाना गलत है तथा इसे "टीटीसीआई के लिए सरकार को देय" हेतु ₹3.54 करोड़ की देयता से समायोजित किया जाना चाहिए। उपरोक्त के समायोजित नहीं होने के परिणामस्वरूप "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" हेतु परिसंपत्तियों में ₹3.54 करोड़ की अत्युक्ति हुई तथा उसी धनराशि से "अन्य देयताओं" में अत्युक्ति हुई।

12.2 अनुसंधान और विकास योजना

पूंजी डब्ल्यूआईपी: ₹5.59 करोड़

उपरोक्त शीर्ष में पालमपुर में कार्यालय सह-आवासीय भवन के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दी गई ₹2.27 करोड़ की राशि शामिल है। अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि कार्य पूरा हो गया था और कब्जा लेने के बाद कार्यालय को नये भवन में 05 दिसम्बर 2015 को स्थानांतरित कर दिया गया। चूँकि टी बोर्ड ने कब्जा लिया और नये भवन का प्रयोग कर रहा

है, भवन की लागत को पूँजीकृत और मूल्य ह्रास (05 दिसम्बर 2015 से 31 मार्च 2018 तक) खातों में प्रभारित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त भवन को पूँजीकृत नहीं किए जाने के कारण "पूँजी डब्ल्यूआईपी" में ₹2.27 करोड़ की अत्युक्ति हुई; 'स्थायी परिसंपत्ति' के भवन में ₹1.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई तथा "मूल्यह्रास" में ₹0.49 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, आय पर व्यय के आधिक्य में भी ₹0.49 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

13. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी)

13.1 नकद एवं बैंक शेष (बैंकों के साथ टीडीआर सहित): ₹4672.13 करोड़

उपरोक्त में सावधि जमा (फरवरी 2014 में जमा) की शेष राशि के रूप में ₹67.59 करोड़ की राशि तथा उस पर 31 मार्च 2018 तक ₹38.98 करोड का प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है जिसकी ओरिंएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) से प्राप्ति की जानी है। चूँकि मामला सीबीआई कोर्ट में लंबित है और जेएनपीटी के पास ₹67.59 करोड़ की सावधि जमा प्राप्ति/मियादी जमा प्राप्ति नहीं थी, उसे ₹67.59 करोड़ के संदिग्ध निवेश और ₹38.98 करोड़ के प्रोद्भूत ब्याज का प्रावधान करना चाहिए था। संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने के कारण लाभ में₹106.57 करोड़ की अत्युक्ति हुई तथा परिणामत:नकद और बैंक शेष में ₹67.59 करोड़ और निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज में ₹38.98 करोड़ की अत्युक्ति हुई।यह मुद्दा 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उठाया गया था, हालांकि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

13.2 फुटकर देनदार: ₹790.50 करोड़

13.2.1 उपरोक्त में 2005 से 2008 की अवधि के भूमि किराए (₹3.02 करोड़) और उस पर दण्डात्मक ब्याज (2013 तक दावित ₹2.38 करोड़) की ₹5.40 करोड़ की धनराशि शामिल है जो कि सीमा शुल्क विभाग से बकाया है। चूंकि, जेएनपीटी और सीमा शुल्क विभाग के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था और विभाग ने दावे पर आपत्ति की है, बकाया की वसूली निश्चित नहीं हैं और इसलिए उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसका प्रावधान न किये जाने के परिणामस्वरूप फुटकर देनदारों और लाभ में ₹5.40 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

13.2.2 उपरोक्त में पत्तन द्वारा सीआईएसएफ कार्यालय द्वारा सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की लागत के लिए मेसर्स एनएसआईसीटी (बीओटी परिचालक) से किए गए अतिरिक्त दावे के रूप में ₹20.67 करोड़ की राशि शामिल है।

इसके कारण फुटकर देनदारों और लाभ में इतनी ही राशि की अत्युक्ति हुई।

14. मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी)

14.1 नकद में या अन्य प्रकार में या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य में वसूली करने योग्य अग्रिम: ₹756.04 करोड़

उपरोक्त में पेंशन निधि न्यास लेखा (₹135.38 करोड़) और उपदान निधि न्यास लेखा (₹9.73 करोड़) को देय धनराशि के रूप में ₹145.11 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल है और इसलिए इन्हें वर्तमान देयता के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों में न्यूनोक्ति तथा वर्तमान संपत्तियों में ₹145.11 करोड़ की समतुल्य न्यूनोक्ति हुई।

14.2 निवल घाटा: ₹370.93 करोड़

लेखाकरण मानक 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) के अनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) को केवल वहीं मान्यता दी जानी चाहिए जहाँ उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय की उपलब्धता होगी जिसके सापेक्ष कर वसूला जा सकता है। मानक में यह भी प्रावधान है कि निश्चितता के उचित स्तर को सामान्य रूप से उद्यम के पिछले अभिलेखों की जांच करके और भविष्य के लिए मुनाफे का यथार्थवादी आकलन करके प्राप्त किया जायेगा। पिछले तथा भविष्य के लिए अनुमानित वित्तीय विवरणियों के विश्लेषण में निश्चितता का उचित स्तर प्रदान नहीं करता है कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष आस्थगित कर परिसंपत्ति वसूली जा सकती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2012-13 से 2017-18 के दौरान एमबीपीटी को नुकसान हुए। इसके अलावा, एमबीपीटी ने ₹2692.56 करोड़ की बीमाकिंक देयता के लिए प्रावधान नहीं किया है। उपरोक्त को देखते हुए, डीटीए की मान्यता सही नहीं है। निवल घाटे में ₹432.52 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसमें कि 2017-18 के दौरान पत्तन द्वारा मान्यता प्राप्त डीटीए के ₹45.60 करोड़ तथा पहले के वर्षों से संबंधित ₹386.92 करोड़ शामिल है। इसके परिणामस्वरूप डीटीए में ₹432.52 करोड़ की अत्युक्ति और नुकसान में ₹432.52 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

15. मोरमुगांव पत्तन न्यास (एमपीटी)

15.1 जारी पूँजीगत कार्य: ₹105.82 करोड़ (अनुसूची-2)

इसमें वर्ष 2016-17 के दौरान एप्रोच चैनल को गहरा करने के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गए बिल के ₹25.34 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जारी पूँजीगत कार्य और पूँजीगत व्यय की देयताओं में ₹25.34 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

15.2 वर्तमान देयताएँ: ₹976.26 करोड़

जून 2007 से मार्च 2018 की अवधि के लिए सीआईएसएफ की तैनाती पर विलंबित भुगतान पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा ब्याज के रूप में ₹16.89 करोड़ का बिल तथा अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2017 तक एसडब्ल्यूआरएल और एमपीटी के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर एसडब्ल्यूआरएल द्वारा कमियों/क्षतिपूर्ति और मरम्मत के लिए ₹14.12 करोड़ का बिल प्रस्तुत किया गया जो कि उपरोक्त में शामिल नही है।

इसके परिणामस्वरूप ₹31.01 करोड़ की देयताओं में न्यूनोक्ति तथा अधिशेष में अत्युक्ति हुई।

16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

16.1 जारी पूँजीगत कार्य: ₹84.71 करोड़

अ) इंटरप्राइज सेबी पोर्टल परियोजना के लिए टेक महिंद्रा को दिए गए अनुबंध के तहत प्रशिक्षण के लिए ₹0.50 करोड़, उपरोक्त में शामिल नहीं है। बोर्ड ने टीडीएस काटने के बाद ₹0.45 करोड़ का प्रावधान सृजित किया।.

इसके परिणामस्वरुप अचल संपत्तियों (जारी पूँजीगत कार्य) में ₹0.50 करोड़ की न्यूनोक्ति और व्यय पर आय में अधिक्य में ₹0.50 करोड़ (टीडीएस सहित) की न्यूनोक्ति हुई।

ब) उपरोक्त में पहले के वर्षों में दिए गए कार्य आदेशों के विरूद्ध ₹0.39 करोड़ से अधिक का प्रावधान शामिल है। ठेकेदार को पूर्ण और अंतिम भुगतान, अनुबंध को बंद/वापस लेने आदि के कारण अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लिए जाने की जरूरत थी।

इसका परिणाम यह हुआ कि अचल संपत्तियों (जारी पूँजीगत कार्य) में अत्युक्ति और वर्तमान देयता तथा प्रावधानों की ₹0.39 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

16.2 अनुसूची बैंको के चालू/बचत खातों में नकद शेष: ₹83.45 लाख

(i) एनआरओ दिल्ली (आईसीआईसीआई खाता संख्या 000701263308) के बैंक समाधान विवरण में बैंक बुक के अनुसार शेष राशि ₹35.67 लाख दर्शाया गया जबकि पुस्तकों में इसे ₹36.53 लाख लिया गया। इस प्रकार ₹0.86 लाख का अंतर था जो कि बिना मिलान के ही रह गए थे।

(ii) अनुसूचित बैंको के चालू/बचत खातों में नकद शेष में निम्नलिखित को शामिल किया गयाः

(अ) दिसंबर 2016 के बाद से धनराशि ₹15 लाख का चैक जारी किया गया परंतु निपटान नहीं किया गया।

(ब) अप्रैल 2013 के बाद से ₹5.89 लाख का चैक बैंको द्वारा जमा किए गए परंतु सेबी द्वारा अपने खाते में नहीं शामिल किया गया।

(स) अप्रैल 2016 के बाद से ₹16.09 लाख का चैक जमा किया गया परंतु निपटान नहीं किया गया।

(द) अप्रैल 2017 के बाद से शुल्क बैंक द्वारा डेबिट किया गया लेकिन धनराशि ₹14.64 लाख सेबी के द्वारा अपने खाते में शामिल नहीं किया गया।

लेखा समाधान के अभाव में, चालू/बचत खातों में अनुसूचीत बैंकों के साथ नकद शेष की सत्यता का लेखापरीक्षा साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।

17. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

17.1 अक्षय निधि: ₹503.42 करोड़

i) उपरोक्त में आयोग द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों, वित्तपोषित संस्थानों और नोडल बैंकों को अग्रदाय खादी अनुदान अग्रिमों को ₹14.20 करोड़ का संग्रह (1964 से आगे) जो कि 31 मार्च 2018 को खातों की किताबों में असमायोजित/अनुपयोगी/बिना-मिलान के सम्मिलित है। लेखापरीक्षा जानकारी के अभाव में, जैसे कि प्राप्तियाँ/प्रतिपूर्ति बिल/वाउचर, 'अक्षयनिधि' के शेष जो कि ₹14.20 करोड़ के अग्रदाय अग्रिमों के पुनर्प्राप्ति तथा सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ है। यह टिप्पणी 2011-12 के बाद से एसएआर में जारी की गई है और केवीआईसी द्वारा इतने लम्बे समय तक लंबितता होने के बावजूद शेष अग्रिम को समायोजित/मिलान करना अभी बाकी है।

ii) आयोग फील्ड कार्यालयों, कार्यक्रम निदेशालयों, खादी संस्थाओं तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं इत्यादि से ₹1613.30 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त नहीं कर सका। ₹1613.30 करोड़ में से, ₹506.72 करोड़ (31.41 प्रतिशत) वर्ष 2011-12 से तथा शेष ₹1106.58 करोड़ वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक से संबंधित है। इस प्रकार, जीएफआर 2017 के जीएफआर 238 (1) के साथ जीएफआर 238 (10) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की निगरानी करने के लिए उचित तंत्र के अभाव में दर्ज व्यय की सत्यता को प्रमाणित करने में असमर्थ है।

17.2 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान: ₹31.71 करोड़

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप (अनुच्छेद 12.1 तथा 12.2) तथा लेखा मानक 15 के तहत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की सेवा निवृति लाभों जैसे कि ग्रेच्युटि, पेंशन और अवकाश नकदीकरण देयता के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में प्रावधान नहीं किया जाने के स्तर तक न्यूनोक्ति हुई।

17.3 अचल संपत्तियाँ: ₹18.08 करोड़

भूमि तथा भवन: ₹42.49 करोड़

उपरोक्त में सेन्ट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्युट (सीबीआरटीआई), पुणे में भूमि खरीद की कीमत ₹7.81 करोड़ शामिल है। केवीआईसी ने इस भूमि में ₹0.03 करोड़ में अवशेष पट्टे का अधिकार प्राप्त किया था। परन्तु, भूमि के पुन:मूल्यांकन (दिसंबर 2013) के आधार पर भूमि ₹7.81 करोड़ की दिखायी गयी है जो कि केवीआईसी के लेखाकरण नीति के ऐतिहासिक लागत पद्धति का उल्लघंन है। इसके परिणामस्वरूप ₹7.78 करोड़ (₹7.81 करोड़ - ₹0.03 करोड़) तक अचल संपत्ति (भूमि एवं भवन) के सकल ब्लाक की अत्युक्ति तथा समान राशि से आय पर अतिरिक्त व्यय की न्यूनोक्ति हुई। अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए लेखाकरण नीति के अप्रकटन से संबंधित मुद्दे को 2016-17 के दौरान उठाया गया था तथा प्रबंधन द्वारा खातों का एक समान प्रारूप के पालन का आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।

17.4 बैंक क्रेडिट का सहायता संघ (सीबीसी): ₹473.66 करोड़

इसमें संस्थाओं/राज्य केवीआई बोर्ड (₹473.66 करोड़) से प्राप्य सीबीसी कर्ज तथा सीवीसी/एसबीआई (₹249 करोड़-अनुसूची 4) को देय कर्ज का अंतर ₹224.66 करोड़ शामिल है। केवीआईसी ने बैंकों के सहायता संघ द्वारा उपरोक्त संस्थाओं को कर्ज की व्यवस्था (1995-96) की। संस्थाओं/राज्य केवीआई बोर्ड से कर्ज की वसूली बेहद दयनीय है जिसके कारण एक बहुत बड़ी रकम की वसूली नहीं हो पाई थी। चूककर्ता की प्रास्थिति से बचने के लिए, केवीआईसी ने अंतर राशि ₹224.66 करोड़ का (जो 1995-96 से जमा हुआ है) एक समयावधि में बैंकों को पुर्न भुगतान कर दिया तथा संस्थाओं/राज्य केवीआई बोर्ड से प्राप्त नहीं किया। चूंकि ₹224.66 करोड़ की अंतर राशि संदेहास्पद थी, इसलिए संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व का निर्माण न होने के परिणामस्वरूप संस्थाओं/केवीआई बोर्ड से वसूल किए जाने वाले सीबीसी कर्ज में अत्युक्ति हुई तथा उस स्तर तक संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व में न्यूनोक्ति हुई।

18. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईएफटी), नई दिल्ली

18.1 देनदारियाँ

रिजर्व एवं सरप्लस (अनुसूची-2) - पूँजीगत रिजर्व

सरकारी अनुदानः वर्ष के दौरान पूँजीकृत अनुदान: ₹65.30 करोड़

उपरोक्त में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त एवं जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन (जेएडंके एसआईडीसीओ) को एनआईएफटी का स्थायी परिसर (कैंपस) श्रीनगर में बनाने हेतु दिए गए ₹11.85 करोड़ शामिल नहीं है। जेएडंके एसआईडीसीओ को यह राशि मुख्यालय द्वारा, जेएडंके परिसर के अपनी पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज करने की सूचना के साथ दी गई थी। परंतु जेएडंके परिसर की आवश्यक प्रविष्टियाँ को पास करने में विफल रहने के कारण यह राशि संस्था की पुस्तकों में 31 मार्च 2018 तक दर्ज (बुक) नहीं की जा सकी।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष भर में पूँजीकृत अनुदान में ₹11.85 करोड़ की न्यूनोक्ति एवं तदनुसार जारी पूँजीगत कार्य को उसी मात्रा में कम आंका गया है।

18.2 पूँजी, रिजर्वः सरकारी अनुदान - वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया: ₹60.83 करोड़

संस्थान ने ₹33.81 करोड़ (केंद्र सरकार से 30 करोड़ एवं राज्य सरकार से ₹3.81करोड़) का अनुदान वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त किया है। परंतु इस वर्ष के दौरान प्राप्त उपरोक्त अनुदान ₹33.81 करोड़ के बदले खाता बुक में गलती से ₹60.83 करोड़, मुख्य कार्यालय एवं बहुत से अन्य परिसरों के बीच होने वाले अंतर समायोजन अंतरण के कारण अंकित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप संस्था के वित्तीय विवरणों में प्राप्त अनुदान तथा समायोजन एवं अंतरण (अनुसूची-2) में अत्युक्ति के अलावा प्राप्त अनुदान की एक गलत तस्वीर पेश की गई।

18.3 वर्तमान देनदारियाँ तथा प्रावधान: ₹239.60 करोड़

भवन के लिए डब्ल्यूआईपी प्रावधान: ₹15.42 करोड़

उपरोक्त में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को दिल्ली परिसर में बनने वाले नये भवन हेतु 31 मार्च 2018 को देय ₹3.00 करोड़ शामिल नहीं है। डीएसआईआईडीसी के दिनांक 28.02.2018 के पत्र में ₹12.06 करोड़ की मांग की गई थी जिसके लिए एनआईएफटी एचओ (17 मई 2018) ने ₹3.00 करोड़ डीएसआईआईडीसी को भुगतान के लिए स्वीकृत किया था। इसी प्रकार, लेखा पुस्तकों में ₹3.00 करोड़ की देनदारी वर्ष 2017-18 के लिए बनाई जानी चाहिए थी। इसके

परिणामस्वरूप ₹3.00 करोड़ से बनने वाली डब्ल्यूआईपी भवन के लिए अंकित प्रावधान में न्यूनोक्ति हुई एवं जारी पूँजीगत कार्य (भवन) को समान राशि में परिणामिक न्यूनोक्ति हुई।

18.4 पूँजीगत जारी कार्य (भवन) :₹278.87 करोड़

i) उपरोक्त में दिल्ली केंद्र एवं कार्यालय में बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल और किचन ब्लॉक भवन की कीमत तथा जोधपुर में बनने वाले हॉस्टल की कीमत ₹58.29 करोड़ शामिल है जिसका कार्य पूर्ण कराकर उन्हें अपने-अपने केंद्रों द्वारा क्रमशः जुलाई 2015 तथा अक्टूबर 2017 में अधिग्रहण किया गया था। इनके अपूँजीकरण के परिणामस्वरूप जारी पूंजी कार्य को ₹58.29 करोड़ तक बढ़ा चढ़ाकर अंकित किया गया है एवं अचल संपत्ति (भवन) को ₹55.79 करोड़ (₹2.50 करोड़ का मूल्यह्रास प्रदान कर) कमतर बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित राजस्व आय एवं साल में आरोपित मूल्यह्रास प्रत्येक की ₹2.50 करोड़ से न्युनोक्ति हुई।

(ii) उपरोक्त में एसआईडीसीओ को जेएंडके परिसर के श्रीनगर में चल रहे एनआईएफटी परिसर के निर्माण हेतु दिए गए ₹8.00 करोड़ का मोबीलाईजेशन अग्रिम भी शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर एसआईडीसीओ ने उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) ₹37.75 करोड़ का पेश किया था जिसमें ₹8.00 करोड़ का मोबीलाईजेशन अग्रिम शामिल था। इस प्रकार, जारी पूंजीगत कार्य की वैल्यू संस्था द्वारा अंकित ₹37.75 करोड़ के बदले ₹29.75 करोड़ (₹37.75करोड़-₹8.00 करोड़) होनी चाहिए थी, चूँकि, एनआईएफटी ने ₹37.20 करोड़ प्रदान किए है, अतः शेष ₹7.45 करोड़ (₹37.20 करोड़ - ₹29.75 करोड़) को ठेकेदार को दिए जाने वाले अग्रिम के तौर पर दिखाया जाना चाहिए था। जारी पूँजीगत कार्य को ₹8.00 करोड़ का अधिक दिखाए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्ति, कर्ज और अग्रिमों में ₹7.45 करोड़ की न्यूयोक्ति तथा पूँजीकृत अनुदान में ₹0.55 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

18.5 पूर्व अवधि आयः ₹173.07 करोड़

उपरोक्त में ₹196.71 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान ₹26.89 करोड़ तथा पूर्व अवधि के कारण ₹169.82 करोड़) की धनराशि सम्मिलित है जिसे लेखाकरण मानक (एएस)-12 सरकारी अनुदानों के लिये लेखाकरण के कार्यान्वयन के कारण अस्थगित मूल्यह्रास के रूप में आय एवं व्यय खाते में बुक किया गया। एएस 12 को कार्यान्वित न किए जाने के मामले को एनआईएफटी के वार्षिक लेखों पर वर्ष 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2014-15 के प्रबन्धन पत्र के माध्यम से उठाया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान संस्थान ने एएस-12 को कार्यान्वित किया तथा केंन्द्रीय/राज्य सरकार अनुदानों एवं स्वं-निधियों से सृर्जित परिसंपत्तियों का द्विभाजन किया और तद्नुसार ₹196.71 करोड़ तत्समान पूँजीगत अनुदान से आय में बुक किया जैसा कि ऊपर बताया गया

है। संस्थान सरकारी अनुदान को ₹720.67 करोड़ तक पूँजींगत किया तथापि, सरकारी अनुदानों से सृजित तत्समान निवल परिसंपत्तियों को ₹650.26 करोड़ प्रदर्शित किया गया जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2018 को खाता बही में पूंजीकृत किए गए पूँजी अनुदान तथा उससे सृजित निवल परिसंपत्तियों के मध्य ₹70.41 करोड़ का अंतर आया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकारी अनुदानों तथा स्वं-निधियों से सृजित परिसंपत्तियों का सही द्विभाजन संस्थान द्वारा नहीं किया गया है।

19. पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी)

19.1 अचल परिसंपत्तियाँ

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (लेखा और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी) नियम 2017 की अनुसूची एच (अचल परिसंपत्तियाँ) को संदर्भ में लाएं जिसमें यह वर्णित है कि मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि के द्वारा कम्पनी अधिनियम,1956 में निर्धारित दरों पर लगाया जाएगा। पीएनजीआरबी ने वर्ष 2017-18 के दौरान अपनी अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने के लिए इसका अनुपालन किया। चूँकि कम्पनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, अतः पीएनजीआरबी को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ॥ में वर्णित उपयोगी समय के अनुसार मूल्यह्रास का परिकलन करना चाहिए था।

20. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

20.1 सीसीआई निधि में कार्यालय के लिए जगह प्राप्त करने हेतु सहायता अनुदान द्वारा सृजित मियादी जमा पर वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त की गई ₹0.30 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी। सीसीआई ने इस धनराशि को कार्यालय के लिए जगह प्राप्त करने हेतु सहायता अनुदान में जमा कराने के स्थान पर वर्ष 2016-17 में आय एवं व्यय खाते के माध्यम से निधि में जमा करा दिया। इसके परिणामस्वरुप निधि एवं अधिशेष में ₹0.30 करोड़ की अत्युक्ति तथा कार्यालय के लिये जगह प्राप्त करने हेतु सहायता अनुदान में इतनी ही धनराशि की न्यूनोक्ति हुई।

20.2 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा की वार्षिक विवरणी का प्रपत्र) नियम 2009 के नियम 3 के अनुसार परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की पूंजी लागत का योगदान जैसी प्रकृति के सरकारी अनुदानों/ सब्सिडी को पूंजीगत रिजर्व माना जाता है। नियम 3 में यह भी वर्णित है कि प्राप्त की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में कटौती करके प्रदर्शित किया जाता है। तथापि, सीसीआई की लेखाकरण नीति सं.5 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा की वार्षिक विवरणी का प्रपत्र) नियम, 2009 के अनुसार लेखाकरण नीतियों का वर्णन नहीं था। इस मामले को वर्ष

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी उठाया गया था तथापि अभी तक कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

21. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए)

वर्ष 2016-17 तक एवं मार्च 2018 माह की अवधि के लिये एईआरए द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कर्मियों से ली गई सेवाओं पर हुए ₹8.27 करोड़ के स्थापना व्ययों (वेतन, मजदूरी तथा अन्य हित) तथा अक्टूबर 2009 से मार्च 2018 की अवधि के एयर इंड़िया को देय ₹0.18 करोड़ के बकाया किराए की देयताओं का प्रावधान न करने के कारण चालू देयताओं और प्रावधानों में ₹8.45 करोड़ की न्यूनोक्ति की गई। इसके परिणामस्वरुप घाटे में ₹8.45 करोड़ की न्यूनोक्ति की गई।

22. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)

22.1 एनसीआरपीबी अपने प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आय व व्यय खाते से संबंधित अनुसूचियों को लेखाकरण नीति 1(सी) के अनुपालन में पूंजी एवं राजस्व में द्विभाजन कर रहा है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखे के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं थी।

22.2 लेखांकन नीति सं.3 में वर्णित है कि सभी व्ययों, कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावें/भुगतान को छोड़कर जो कि नकद आधार पर लिए जाते है, को प्रोद्भवन आधार पर चिन्हित किया जाता है। उपरोक्त लेखांकन नीति लेखाकंन की प्रोद्भवन संकल्पना तथा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखो के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है।

23. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

23.1 लेखाकंन नीति 11 'रिजर्व एण्ड सरप्लस' में वर्णित है कि "गेहूं विकास निधि-(ड़ब्लूडीएफ) तथा गैर-बासमति विकास निधि (एनबीडीएफ) निर्यातकों से प्राप्त की जाने वाली धनराशि है और उन्हें विशेष रिजर्व के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें वापस करना होता है। इन निधियों से सृजित स्थायी जमा पर अर्जित किये जाने वाले ब्याज को संबंधित निधियों में स्थानान्तरित किया जाता है।"

उपरोक्त नीति के विरोधाभास में डब्ल्यूडीएफ तथा एनबीडीएफ को उद्दिष्ट/अक्षय निधि प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रबन्धन द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया, डब्ल्यूडीएफ व एनबीडीएफ की धनराशि निर्यातकों को वापस नहीं की जानी थी। इस प्रकार उपरोक्त लेखांकन नीति द्वारा एपीईडीए के कार्यों का सही व उचित प्रदर्शन नहीं किया गया। इस बिन्दु को वर्ष 2016-17 में भी उठाया गया था। तथापि, प्रबन्धन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

24. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा परियोजना कार्यान्वयन सोसाईटी (एनएटीआईएस)

24.1 जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि के एनएटीआईएस के कर्मचारियों के वेतन के बकायों (भविष्य निधि में नियोक्ता के अंश को सम्मिलित करते हुए) के कारण चालू देयताओ और प्रावधानों में ₹1.28 करोड़ की न्यूनोक्ति की गई। वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी 2017 जिससे, केन्द्र सरकार द्वारा पोषित/नियंत्रित स्वायत निकायों के कर्मचारियों को सीसीएस (आरपी) नियमों, 2016 के अनुसार, संशोधित वेतन मान दिया जाना वर्णित था तथा एनएटीआईएस द्वारा प्रस्तुत किए गए वेतन के बकायों के अभिकलन को वित्त मंत्रालय के दिनांक 16 मई 2017 के अनुमोदन के बावजूद इन्हें एनएटीआईएस की बहियों में वर्णित नहीं किया गया जबकि लेखे मार्च 2018 में अनुमोदित किए गए थे। इसके कारण परियोजना परिसंपत्तियों में भी ₹1.28 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

24.2 आईसीएटी की विविध आय एवं आय पर व्यय की अधिकता में अत्युक्ति हुई तथा तीन वर्ष से अधिक समय से बही में बकाया उपभोक्ता खाते में अदावी क्रेडिट शेष, अदावी प्रतिपूर्ति जमा और अन्य अदावी धनराशि को बट्टे खातों में डालने के कारण अदावी निधि रिजर्व में ₹0.55 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। दिनांक 03 फरवरी 2011 के प्रबन्धन के निर्णय के अनुसार इस धन राशि की अदावी निधि रिजर्व के रूप में बुकिंग की जानी चाहिए थी जिसे निम्न स्थितियों में ही उपयोग/समायोजित किया जाना था;

- ग्राहक शेष एवं जमा का बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण;
- उत्तरवर्ती उपभोक्ता दावा जिसे इस निधि में क्रेडिट किया गया था;
- जनहित में की गई विभिन्न कार्रवाई;

25. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

25.1 तुलन पत्र

चालू देयताएं एवं प्रावधान

उपरोक्त में सीईआरसी को आबंटित की गई अतिरिक्त जगह के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा की गई मांग के लिए ₹2.62 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरुप फुटकर लेनदारों की और उसी धनराशि से आय पर व्यय की अधिकता की न्यूनोक्ति हुई।

26. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली

26.1 राज्य विकास एजेन्सियों (एसडीए) द्वारा यूसी को जमा न कराना

बीईई ने "ऊर्जा के दक्षतापूर्वक प्रयोग व उसके संरक्षण पर एसडीए को सुदृढ़ बनाने की योजना" के अन्तर्गत एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान प्रदान की गई वर्ष-वार वित्तीय सहायता व उससे संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) इस प्रकार हैः-

वित्तीय वर्ष	प्रदान की गई वित्तीय सहायता (₹ लाख में)	प्राप्त किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र (₹ लाख में)	प्राप्त नहीं किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र (₹ लाख में)	प्राप्त किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रतिशत
2013-14	2096.9	1278.7	818.2	60.98
2014-15	810.2	784.9	25.3	96.88
2015-16	930.5	732.3	198.2	78.70
2016-17	2436.0	1169.3	1266.7	48.00
2017-18	2261.0	186.80	2074.2	8.26
योग	**8534.6**	**4152**	**4382.6**	**48.65**

उपरोक्त तालिका में यह देखा जाता है कि सम्बन्धित एसडीए (यों) ने ₹43.83 करोड़ (अर्थात प्रदान की गई वित्तीय सहायता का 51.35 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए है लेकिन यह तथ्य लेखाओं में वर्णित नहीं है यद्यपि बीईई ने इन्हें अनुदान के उपयोग के रूप में लेखांकित किया है।

27. राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)

27.1 तुलनपत्र

समग्रनिधिः ₹260.39 करोड़

समग्र/पूंजीनिधि में अग्रेनीत किया गया घाटा: (-)₹7.19 करोड़

समग्र निधि में ₹1.66 करोड़ के पूर्व अवधि व्यय, ₹0.41 करोड़ की पूर्व अवधि आय तथा ₹0.21 करोड़ के टीडीएस अन्तरण सम्मिलित है। लेखे के प्रारुप के अनुसार ऐसे आय और व्ययों को आय एवं व्यय खाते के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना चाहिये। तथापि, इन आयों/व्ययों को सीधे समग्र निधि में ले जाया गया है। परिणामस्वरुप, वर्ष के घाटे में ₹1.46 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।

27.2 आय एवं व्यय खाता

वर्ष का घाटाः (-) ₹7.19 करोड़

चालू देयताएं एवं प्रावधानः ₹16.32 करोड़

उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैः

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 2016-17 तथा 2017-18 के लिये देय लेखापरीक्षा शुल्क
- वर्ष 2017-18 हेतु ₹0.02 करोड़ के संपत्ति कर के लिए प्रावधान (एनपीटीआई, बदरपुर इकाई)

परिणामस्वरूप 'प्रावधानों' में तथा आय एवं व्यय खाता/समग्र निधि के घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

27.3 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

बैंक जमा और ऋण व अग्रिम आदि पर अर्जित किए गए ₹6.05 करोड़ के ब्याज को आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया तथा उसी धनराशि को प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में भी दर्शाया गया था। प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में दर्शाया गया अर्जित ब्याज गलत है जबतक कि प्रोद्भूत ब्याज को समायोजित नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट-VII

(पैरा 1.8(क) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
3.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
4.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
5.	दीनदयाल पत्तन न्यास, मुम्बई
6.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी (उपलेखापरीक्षा), मुम्बई
7.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची
8.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
9.	टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता
10.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर

परिशिष्ट-VIII

(पैरा 1.8(ख) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ (वर्ष 2017-18 के दौरान) अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
2.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
3.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
4.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई
5.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी (उपलेखापरीक्षा), मुम्बई
6.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, मुम्बई
7.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
8.	न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर
9.	स्पाइस बोर्ड, कोच्ची
10.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
11.	टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता

परिशिष्ट-IX

(पैरा 1.8 (ग) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन (वर्ष 2017-18 के दौरान) नहीं किया गया था

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
2.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
3.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
4.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची
5.	टी बोर्ड़, कोलकाता

परिशिष्ट-X

(पैरा 1.8 (घ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जो वसूली/नकद आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई
2.	चेन्नई पत्तन न्यास,चेन्नई
3.	न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर
4.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन

परिशिष्ट-XI

(पैरा 1.8 (ड़) में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिन्होने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखाकंन नहीं किया

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
2.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
3.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
4.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता
5.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई
6.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
7.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन
8.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई
9.	रबड बोर्ड, चेन्नई
10.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची
11.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई
12.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

परिशिष्ट-XII

(पैरा 1.8 (छ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपने खातों को संशोधन किया

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास, विशाखापट्टनम
2.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद
3.	वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन
4.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई
5.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

परिशिष्ट-XIII

(पैरा 1.9 में संदर्भित)

30 नवम्बर 2018 तक बकाया अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी की स्थिति

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के अंत तक की रिपोर्ट	मंत्रालय और स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के अंतर्गत
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मार्च 2015 2016 की रिपोर्ट संख्या 11	1	-	1
2.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	मार्च 2016 2017 की रिपोर्ट संख्या 12	1	-	1
3.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
4.	उर्जा मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
5.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	**1**	**-**	**1**
6.	पोत परिवहन मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	**1**	**-**	**1**
कुल			**6**	**-**	**6**